रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-119/2022/1538/22-2-2022-17(176)/2020

लखनऊ: दिनांक: 14 अगस्त, 2022

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, मीरजापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्लू सिंह उर्फ माता प्रसाद सिंह (बन्दी संख्या-225/18) पुत्र श्री सरजू सिंह, जो ग्राम-सेमरा, पोस्ट-खलुवा, थाना-चिल्ह, जनपद-मीरजापुर का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-100/1992 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 147 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर के आदेश दिनांक 12.12.1996 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.09.2018 द्वारा यथावत रखा गया है, दिनांक 18.01.2022 तक 03 वर्ष 01 माह 05 दिन की अपरिहार सजा 03 वर्ष 07 माह 23 दिन की सपरिहार भोगी गयी सजा एवं संतोषजनक जेल आचरण एवं पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किए जाने तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-119/2022/1538(i)/22-2-2022 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर।
3- पुलिस अधीक्षक मीरजापुर।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, मीरजापुर।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in